

## संवधान पीठ ने कहा उप-राज्यपाल चुनी हुई सरकार की “सहायता और सलाह” मानने को बाध्य

### चर्चा में क्यों?

सुप्रीम कोर्ट की संवधान पीठ ने लेफ्टनैंट-गवर्नर (Lieutenant-Governor-LG) और दिल्ली सरकार के बीच सत्ता की सीमाओं को चर्चि रररर करते हुए कहा कल लेफ्टनैंट-गवर्नर भूमल, पुलसल और पब्लक आर्डर के मामलों को छोड़कर दिल्ली सरकार के नर्रणय में हस्तक्षेप नहीं कर सकते और मंत्रपरषद की “सहायता और सलाह” उन पर बाध्यकारी है।

### नर्रणय के महत्त्वपूर्ण बंदु

- यह फैसला एक संवधान पीठ द्वारा दया गया जसमें मुख्य न्यायाधीश दीपक मशिरा, जस्टसल ए.के. सीकरी, जस्टसल ए.एम. खानवलकर, जस्टसल डी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टसल अशोक भूषण शामिल थे ।
- दिल्ली सरकार ने 4 अगस्त, 2016 के दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी जसमें उप-राज्यपाल (लेफ्टनैंट गवर्नर) को प्रशासनकल हेड बताते हुए कहा गया था कवलह मंत्रमंडल की सहायता और सलाह मानने के लयल बाध्य नहीं हैं ।
- कोर्ट ने दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को बदलते हुए कहा कल लेफ्टनैंट-गवर्नर को कोई भी स्वतंत्र नर्रणय लेने की शक्त नहीं है । उन्हें या तो मंत्रपरषद की 'सहायता और सलाह' पर कार्य करना होगा या उनके द्वारा राष्ट्रपतल को संदर्भतल कसलल मामले पर राष्ट्रपतल द्वारा लयल गए नर्रणय को लागू करना होगा।
- पीठ ने कहा, अनुच्छेद 163 की भाषा अनुच्छेद 239AA के उपबंध चार जैसी ही है परंतु इसमें सरलफ इतना ही अंतर है कल परषदल 1, 2 और 18 के संबंध में वधानसभा कानून नहीं बना सकती है जसके लयल उप-राज्यपाल के पास वशेषाधिकार है। अतः उप-राज्यपाल के पास कसलल भी राज्य के राज्यपाल से अधिक अधिकार हैं।
- पीठ ने अपनी अलग कतुल समेकतल राय में लेफ्टनैंट-गवर्नर को सरकार के हर "मामूली" ववलद को राष्ट्रपतल के पास भेजने के खललफ चेतावनी भी दी ।
- न्यायालय ने कहा, उप-राज्यपाल को सरकार के साथ सौहार्दपूर्ण तरीके से काम करना चाहयल । फैसले में इस बात पर भी ज़ोर दया गया कल उप-राज्यपाल यांत्रकल रूप से सभी मामले स्व-वलक के बना राष्ट्रपतल को संदर्भतल नहीं कर सकते हैं ।
- न्यायमूर्तल चंद्रचूड़ ने कहा कल नर्रणय लेने का वास्तवकल अधिकार नर्रलवाचतल सरकार के पास है क्युंकी वलह जनता के प्रतल जलवाबदेह है। लेफ्टनैंट-गवर्नर को नर्रलवाचतल सरकार की सहायता और सलाह के अनुसार कार्य करना चाहयल। न्यायमूर्तल चंद्रचूड़ ने कहा, “दललली की वशेष स्थतल के प्रकाश में दललली और केंद्र के बीच संतुलन की आवश्यकता है ।”
- न्यायमूर्तल अशोक भूषण ने अपने अलग फैसले में कहा कल संवधान की व्याख्या समय की आवश्यकता के आधार पर होनी चाहयल। नर्रलवाचतल सरकार की राय का सम्मान कयल जाना चाहयल ।
- न्यायमूर्तल भूषण ने कहा, कल संवधान ने यह नहीं कहा कल सभी मामलों में उप-राष्ट्रपतल की सहमतल पराप्त की जानल चाहयल ।

### दललली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं

- मुख्य न्यायाधीश ने कहा कल, नु जजों की संवधान पीठ के फैसले के आलोक में दललली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दया जा सकता है । संवधान के अनुच्छेद 239AA के मुताबकल उप-राज्यपाल मंत्रमंडल के कार्य और फैसलों को मानने के लयल बाध्य हैं और वे स्वतंत्र रूप से तब तक काम नहीं कर सकते हैं जब तक संवधान उन्हें इसकी अनुमतल नहीं देता है ।
- पीठ ने कहा, दललली वशेष अधिकार पराप्त केंद्रशासतल प्रदेश है । दललली के बारे में फैसला लेने और कार्यकारी आदेश जारी करने का अधिकार केंद्र सरकार को है । दललली सरकार कसलल तरह के वशेष कार्यकारी अधिकार का दावा नहीं कर सकती ।